राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2705/2016

ओम प्रकाश —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. अति. निदेशक, (कार्मिक–II) निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.10.2016
आदेश की दिनांक : 08.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : अनुपस्थित

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 24.02.1995 (अनुलग्नक–1) द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वेतन श्रृंखला नं. 12 (1400–40–1600 50–2300–60–2600) में 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर हुई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–01 पर अंकित है। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.11.2004 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला 5500–175–9000 में स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी के प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 09.03.2004 से प्रदान किया गया, जिसमें अपीलार्थी नाम क्रम संख्या–01 पर अंकित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा–2011 में सफल होने पर अपीलार्थी को लेखाकार के पद पर 2 वर्ष की सेवा परिवीक्षाधीन अवधि के लिए निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 01.02.2013 (अनुलग्नक–3) द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–24 पर अंकित है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 01.02.2013 की पालना में लेखाकार के पद पर दिनांक 04.02.2013 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण हेतु अवधि बढ़ाने हेतु प्रत्यर्थीगण के समक्ष निवेदन किया गया परन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को नवीन पद पर कार्यग्रहण करने हेतु समयावधि नहीं बढ़ाई गई। जबकि अपीलार्थी के समान अनेक कार्मिकों को कार्यग्रहण अवधि में बार–बार बढ़ोतरी की गई है। अपीलार्थी द्वारा लेखाकार पद पर

नियुक्ति प्रदान किये जाने पर वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.3.2006 के अनुसार लेखाकार पद पर नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन कार्मिक के नियत वेतन के स्थान पर पूर्व पदस्थापित पद अनुसार वेतन भत्ते व अन्य परिलाभ प्रदान करने का विकल्प प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी आरपीएससी से चयनित होने के कारण उसी संवर्ग में समान ग्रेड पे धारण करते हुए कार्यरत है अतः उक्त सेवाओं को एसीपी हेतु गणना किये जाने का नियमों में प्रावधान है। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से 4800 ग्रेड पे में लाभ प्रदान करते हुए द्वितीय एसीपी प्रदान की जानी चाहिए। अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी दिनांक 23.03.2014 से स्वीकृत नहीं किये जाने से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक अपीलार्थी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा वेतन विसंगति के निराकरण हेतु प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.04.2016 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि "आप द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दी गई पूर्व नियमित अबाध राजकीय सेवा वर्तमान में द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के लिए गणना योग्य नहीं है। अतः आपकी द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु समयावधि की गणना लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति तिथि से की जावेगी।" वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 (अनुलग्नक–6) के नियम 7 (II) में समान ग्रेड पर पूर्व पद पर की गई सेवा को सीधी भर्ती में चयन किये जाने पर एसीपी हेतु गणना किये जाने का प्रावधान है। वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के नियम 7 (II) में उक्त प्रावधान वर्णित करने का आशय यह है कि पूर्व पद पर समान वेतन श्रृंखला में की गई सेवा को एसीपी हेतु गणना योग्य माना जावे ताकि कार्मिक की पे प्रोटेक्ट की जा सके तथा कनिष्ठ कार्मिक वरिष्ठ कार्मिक से अधिक वेतन प्राप्त ना कर सके। नियम 7 (II) का उद्देश्य कार्मिक के वेतन व एसीपी के लाभ को उस सीमा तक संरक्षित करना है जिस सीमा तक उस कार्मिक के पूर्व पद पर कार्यरत रहने के दौरान नवीन पद पर सीधी भर्ती से चयन किये जाने पर उसका वेतन किसी प्रकार से कम ना हो। अपीलार्थी लेखाकार पद पर नियुक्ति के समय लेखाकार की ग्रेड–पे प्राप्त कर रहा था तथा अपीलार्थी का आरपीएससी से चयन भी लेखाकार के पद पर ही किया गया है। फिर भी अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी प्रदान किये जाने हेतु उसकी पूर्व की सेवाओं की गणना नहीं की जा रही जो कि अयुक्तियुक्त व विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की द्वितीय एसीपी हेतु 18 वर्ष की सेवा दिनांक 09.03.2013 को पूर्ण हो गई। अपीलार्थी दिनांक 09.03.2013 से ग्रेड पे 4800 में वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ प्रदान नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी लेखा सेवा संवर्ग में अपने से कनिष्ठ कार्मिकों से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। अपीलार्थी को सीधी भर्ती से

चयन होने के कारण अपने से कनिष्ठ कार्मिकों से कम वेतन प्रदान किया जा रहा है। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को आदेश दिनांक 30.04.2014 (अनुलग्नक–7) द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 4800 में वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति क्रम संख्या–21 पर श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर, एवं क्रम संख्या–22 पर श्री शशिकांत दवे का नाम अंकित है। अपीलार्थी के समान प्रकरण में माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या–1325/2000 चन्दनमल सैन बनाम सचिव राजस्व विभाग एवं अन्य प्रस्तुत की गई। माननीय अधिकरण द्वारा उपरोक्त अपील स्वीकार करते हुए आदेश प्रदान किये कि अपीलार्थी को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ उसकी सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से करते हुए दिये जावें।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.04.2016 (अनुलग्नक–5) को निरस्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण को निर्देश प्रदान किये जावे कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसकी नियुक्ति दिनांक से की जाकर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 09.03.2013 से द्वितीय एसीपी स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी का ग्रेड–पे 4800 में वेतन नियतन किया जावे। अपीलार्थी को परिणामस्वरूप एरियर राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलवाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या 7 (iii) का विवेचन अपीलार्थी द्वारा अपने हित में अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया है। इस बिन्दु से स्पष्ट अंकित है कि पूर्व विभाग में की गयी सेवाओं के पद की ग्रेड–पे नवीन विभाग में नियमित नियुक्ति की ग्रेड–पे के समान होनी चाहिए। जैसे पटवारी एवं कनिष्ठ लिपिक। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण/राय के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति उच्च ग्रेड–पे में हो जाने के कारण अपीलार्थी कनिष्ठ लेखाकार के पद की सेवाएं एसीपी के लिए गणना योग्य नहीं है। वित्त विभाग की राय/स्पष्टीकरण की प्रति माननीय अधिकरण के अवलोकनार्थ जवाब के साथ अनुलग्नक आर–1 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी लेखाकार की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि दिनांक 04.02.2013 से 03.02.2015 तक की अवधि में कनिष्ठ लेखाकार के रूप में प्राप्त होने वाले एसीपी सहित उन सभी परिलाभों को नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है जो कि कनिष्ठ लेखाकार के रूप में प्राप्त करता। क्योंकि विभाग ने लेखाकार के पद पर नियम 26 के तहत वेतन नियतन दिनांक 04.02.2015 से स्वीकृत करने का आदेश जारी किया

है। दिनांक 04.02.2013 से 03.02.2015 तक विभाग ने पूर्व पद कनिष्ठ लेखाकार अनुसार नियमित वेतन, वेतनवृद्धि अवकाश वेतन आदि परिलाभों का भुगतान किया है। इस प्रकार अपीलार्थी लेखाकार पद पर वेतन नियतन से पूर्व ही कनिष्ठ लेखाकार के रूप में दिनांक 09.03.2013 को देय हो चुकी एसीपी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू सं 2 (7) (111) नियमों में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार पूरे सेवाकाल में तीन एसीपी स्वीकृति का प्रावधान है। एक ही सेवा सवंर्ग में लगातार 18 वर्ष से अधिक सेवा करने पर भी अपीलार्थी को एक ही एसीपी का लाभ स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थी का पूर्व निम्न पद तथा मौजूदा पद उसी सेवा संवर्ग व विभाग का है तथा अपीलार्थी को लेखाकार पद का ही वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया गया था तथा मौजूदा पद पर उसी वेतन व ग्रेड पे स्वीकृत की गई है जो कि अपीलार्थी पूर्व पद पहले से आहरित कर रहा था, कोई अतिरिक्त परिलाभ स्वीकृत नहीं किया गया है। अपीलार्थी पूरे सेवाकाल हेतु तीन एसीपी की सीमा तक ही एसीपी स्वीकृति की मांग कर रहा है। जो नियमानुसार अपीलार्थी को प्रदत्त की जानी चहिए।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.02.1995 को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई एवं 9 वर्ष की सेवाए पूर्ण होने पर दिनांक 09.03.2004 को प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने आरपीएससी द्वारा लेखाकार के पद पर चयन प्रक्रिया में भाग लेकर लेखाकार के पद पर चयन एवं नियुक्ति होने पर दिनांक 04.02.2013 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी द्वितीय चयनित वेतनमान की स्वीकृति हेतु कनिष्ठ लेखाकार की सेवाओं की गणना में शामिल करना चाहता है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग का मत है कि दोनो पद का ग्रेड–पे समान नहीं होने से गत सेवा अवधि को गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। यद्यपि लेखाकार के पद पर चयन के समय अपीलार्थी चयनित वेतनमान के रूप में ग्रेड पे 4200/– प्राप्त कर रहा है जो कि नवीन पद लेखाकार की ग्रेड पे है। परन्तु यह चयनित वेतनमान स्वीकृत होने से प्राप्त कर रहा है। कनिष्ठ लेखाकार का ग्रेड पे लेखाकार के ग्रेड पे के समान नहीं है क्योंकि लेखाकार का पद कनिष्ठ लेखाकार से पदोन्नति का पद है। नवीन नियुक्ति को पदोन्नति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह सही है कि नवीन पद पर परीवीक्षाकाल में अपीलार्थी वेतन सरंक्षण (Pay protection) का पात्र है परन्तु इस आधार पर वह दिनांक 09.03.2013 को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति का हकदार नहीं हो जाता क्योंकि इससे पूर्व ही अपीलार्थी ने सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर

उच्चतर पद पर चयन/नियुक्ति होने से कार्यग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी अपने वेतनमान की तुलना अब कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों से नहीं कर सकता क्योंकि अपीलार्थी अब लेखाकार संवर्ग में पदस्थापित होकर सेवारत है।

उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता नहीं पाते है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)